# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 67/2025 प्रा0 पत्र | 130.2.2025 | 12.05.2025 |

उनवान

1. श्रीमती भारती देवी पत्नी राजकुमार नागोरा, जाति खटीक, निवासी पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर, भीलवाडा

—— प्रार्थीया

**बनाम**

1. श्री राघव पिता दिनेश लढा, निवासी 2—एफ—11, आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाडा ।
2. श्री जीतेन्द्र पुत्र कृष्णकांत शर्मा, निवासी 1—जी—3 चन्द्रशेखर आजादनगर भीलवाडा।
3. श्रीमती नीतु शर्मा पत्नी जीतेन्द्र शर्मा, निवासी 1—जी—3 चन्द्रशेखर आजादनगर भीलवाडा।
4. श्रीमती लीला देवी पत्नी गोविन्द लाल शर्मा, निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती गंगाबाई पत्नी मूलचन्द विश्नोई, निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. विकास ग्राम पंचायत पातलियास आबादी तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रेकार्ड में नया मार्ग (रास्ता) दर्ज कराये जाने व खुलासा रखाया जाने बाबत्**

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थीया श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित।

2—विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित।

3— विपक्षी संख्या 07 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: **निर्णय** ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम कुम्हारिया पटवार हल्का भोली, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 221 रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में आने—जाने हेतु व अपने मवेशियो, कृषि उपकरण व हंकाई बुवाई हेतु ट्रैक्टर को लाने ले जाने हेतु मोके पर बीलानाम सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 330 से प्रारम्भ होकर आराजी नम्बर 828/266 बिलानाम कृषि भूमि मे होकर विपक्षी संख्या 05 गंगाबाई पनि मूलचन्द विश्नोई की आराजी नम्बर 266 व 263 की मेंड के सहारे सहारे होते हऐ बिलानाम आराजी नम्बर 207 की मेंड के सहारे सहारे विपक्षी संख्या 01 से 04 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 206 की मेंड के सहारे सहारे होते हुए विपक्षी संख्या 01 से 04 की कृषि भूमि 198 के मध्य से होकर विपक्षी संख्या 06 विकास पंचायत पातलियास की कृषि भूमि आराजी नम्बर 210/1 की मेड के सहारे सहारे होते हऐ प्रार्थीया अपनी खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 211 में प्रवेश करती है जो कि उक्त रास्ता मोके पर विधमान है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग—उपभोग करती चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

मौके पर रास्ता 20 फीट चौडाई का विधमान होकर चिरकाल से चला आ रहा है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीया के और कोई वैकल्पिक रास्ता उक्त भूमि में आने–जाने हेतु नहीं है इसलिए प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 211 रकबा 0.6702 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.6702 हैक्टयर भूमि मे आने–जाने हेतु यह एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में दर्ज नहीं है इसलिए राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में नया मार्ग दर्ज किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है इस आवेदन के साथ रास्ता का प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत है जिसमे मोके पर विधमान रास्ता को ए० से बी० स्थान तक लाल स्याही से डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु मौके पर विद्यमान रास्ता बिलानाम कृषि भूमि से प्रारम्भ होकर विपक्षी संख्या 01 से 07 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 330, 828/266, 266, 263, 207, 206, 198, 210/1 की दक्षिण दिशा की मेंड के सहारे सहारे होकर प्रार्थीया की स्वयं की आराजी नम्बर 211 मे प्रवेश करती है रास्ता मौके पर 20 फीट चौडाई का विद्यमान है जिसे राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में अंकित किया जाने हेतु रास्ता के लिए अवाप्त होने वाली भूमि का नियमानुसार वर्तमान डी०एल०सी० की दर से मुआवजा राशी का निर्धारण कर अवाप्त होने वाली भूमि का प्रतिकर निर्धारण कर तहसील में जमा किया जाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में नया मार्ग (रास्ता) अंकित किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 232 की आराजी नम्बर 211 रकबा 0.6702 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.6702 हैक्टयर भूमि मे आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 07 की आराजी नम्बर 330, 828/266, 266, 263, 207, 206, 198, 210/1 के सहारे–सहारे से 20 फीट चौडाई का रास्ता विद्यमान है जिसका राजस्व रेकॉर्ड व राजस्व नक्शा में अंकित किया जाने हेतु प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण हर समय टालमटोल करते रहे प्रार्थीया को हाल ही में दिनांक 30/10/2024 को मौके पर रास्ता दर्ज कराने से ईन्कार कर रास्ता को मौके पर बन्द करने की धमकी दी अतः प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रार्थीया विरुद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 30/10/2024 को नया मार्ग (रास्ता) राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित कराने से ईन्कार करने व रास्ता के उपयोग–उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न की धमकी दी अतः वाद कारण दिनांक 30/10/2024 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम कुम्हारिया पटवार हल्का भोली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र आदुण तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 211 रकबा 0.6702 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.6702 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु मोके पर रास्ता आराजी नम्बर 330, 828/266, 266, 263, 207, 206, 198, 210/1 के दक्षिण दिशा की मेंड के सहारे–सहारे जाता है जिसे प्रस्तावित नक्शा मे लाल स्याही से ए० से बी० स्थान तक दर्शाया गया जो कि मौके पर रास्ता 20 फीट चौडाई का रास्ता विद्यमान है जिसे इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा में ए० से बी० स्थान तक लाल स्याही से डॉटेड लाईन से दर्शाया है जिसमे अवाप्त होने वाली भूमि की डी०एल०सी० दर से गणना कर अवाप्त होने वाली भूमि का मुआवजा का निर्धारण नियमानुसार जमा कर राजस्व रेकॉर्ड में माप कर दर्ज करने का आदेश कराया जावें इस हेतु रास्ता की भूमि विपक्षीगण के खाते मे से कम कर रास्ता मे दर्ज कराई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 93 दिनांक 21.04.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम कुम्हारिया पटवार हल्का भोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 211 में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 828/266, 266, 263, 207, 206, 198, 2010/1 में से 20 फीट चौडा रास्ता बना होकर चालू है प्रतिवादीगण ने मौके पर मौजूदा रास्ता देने में अपनी सहमति जताई है। आराजी नम्बर 211 में जाने हेतु उक्त रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। जो सरकारी रास्तें से जुडा हुआ है। प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्तें के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 828/266 में से 0.0348 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 266 में से 0.0164 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 263 में से 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 207 में से 0.0208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 206 में से 0.0208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 में से 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210/1 रकबा 0.0316 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 0.1876 हैक्टेयर बनता है। रास्तें की चौडाई 20 फीट व लम्बाई 1010 फीट है। प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 3,49,000 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 01,30,945 /– डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीया की आराजी नम्बर 211 से लगती हुई दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 210/1 आबादी भूमि है जो ग्राम पंचायत पातलियास के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आबादी भूमि में ऑलरेडी कच्चा रास्ता मौजूद है इसलिये प्रार्थीया को आराजी नम्बर 210/1 में रास्तें की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु सहवन से आराजी नम्बर 210/1 में रास्तें हेतु आवेदन कर दिया है। अतः रास्तें हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नम्बर 210/1 को हटाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित आराजी नम्बर 210/1 के अलावा शेष आराजियात पर प्रस्तावित रास्तें को स्वीकार करते हुये वादी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित है। इन्होने मौके पर मौजूदा रास्ता देने में अपनी सहमति दी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

**—:: आदेश ::—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि की ग्राम कुम्हारिया पटवार हल्का भोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 211 में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 07 की आराजी नम्बर 828/266 में से 0.0348 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 207 में से 0.0208 हैक्टेयर, विपक्षी संख्या 05 की आराजी नम्बर 266 में से 0.0164 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 263 में से 0.0253 हैक्टेयर, विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 की आराजी नम्बर 206 में से 0.0208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 में से 0.0379 हैक्टेयर, कुल किता 06 कुल रकबा 0.1560 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रस्तावित रास्तें की राशि की गणना इस प्रकरण में आदेश दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि जो विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 को देय है को जरिये प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा